

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी दोलतराम विपक्षी केशा
 किस्म मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 154/21 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

09/01/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाने दिलवाई गई। समय सांय 5:00PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलबी में निघत हैं। वादीगण को तलबी हेतु लगभग 4 वर्ष का समय दिया जा चुका है परन्तु वादीगण द्वारा अब तक तलबी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अहम हाजरी अदम परबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय हुआ गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

